FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा

जिला झालावाड़ (राज.)

शकीला बी वनाम अब्दुल अजीज

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र. u/s 229 RTA r.w.s. 114 CPC नं. 49 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
04/4/25	प्रार्थीया के प्रा० पत्र u/s 229 RT Act को बाद जाँच सारिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण के मूलवाद की पत्रावली को तलब किया गया। इस न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण सं० 41/2024 शकीला बी बनाम अब्दुल अजीज व अन्य के दिये गये निर्णय दिनांक 18/03/2025 का अवलोकन किया गया। वादिया के वादपत्र (plaint), पेश शामिल दस्तावेजो एवं निर्णय दिनांक 18/03/2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णय के पैरा सं० 12, क्रियात्मक भाग एवं डिक्री दिनांक 18/03/2025 में टंकण/टाइपिंग त्रुटिवश से गलती से ग्राम डिलावरी के खाता सं० 150 किता 6 रकबा 5.1344 hec के [illegible] सं० 29 किता 6 रकबा 7.2368 h[illegible] उक्त error स्पष्ट [illegible] typing/clerical mistake है जिसे दुरूस्त [illegible] है। धारा 229 RT Act के प्रावधान निम्न प्रकार है - "229. power of review by Board and other revenue courts — Subject to the provision of the Code of civil procedure	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena

Date: 2025.04.28 17:47:47 IST

Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1908 :- (i) The Board of its own motion or on the application of a party to a suit or proceeding, may review and may rescind, alter or confirm any decree or order made by itself or by any of its members, and (2) Every Revenue Court, other than the Board, shall be competent to review any decree, order or judgement by such court."	
	इसी परिपेक्ष्य में Section 114 of the CPC and Order 47 of CPC का भी अवलोकन किया गया। <u>Section 114 :- Review</u> - Subject to aforesaid, any person considering himself aggrieved, (a) by a decree or order from which an appeal is allowed by this code, but from which no appeal has been preferred, (b) by a decree or order from which no appeal is allowed by this court or, (c) by a decision on a reference from a Court of small causes, may apply for a review of judgement to the court which passed the decree or made the order, and the court may make such order thereon as it thinks fit.	
	प्रार्थीया / वादिया द्वारा स्पष्टीकरण सं० 29 को संशोधित कर खाता सं० 150 करने हेतु अनुतोष के साथ-साथ इस [illegible] सं० 150 के ख०नं० 33, 138, [illegible] 164, [illegible] 43, 46/ व 51 में से [illegible] [illegible] से [illegible] नया पृथक खाता सं० 1[illegible] [illegible] [illegible] कर खातेदारी/कब्जेदारी की घोषणा का अनुतोष चाहा है। प्रार्थीया के plaint (वादपत्र) में कहीं भी ना तो नये खाता सं० 176 का उल्लेख है और ना	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:47:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	ही इससे संबंध में relief चाहा गया है। Review application के तहत नये मालिकाना की घोषणा या plaint में चाहे गये relief से भिन्न relief दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल रिकार्ड से स्पष्ट typing and clarical error को ही दुरुस्त किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र u/s 229 RT Act r.w.s. 114 CPC आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, इस न्यायालय जारी आदेश व डिक्री दिनांक 18/3/2025 के मद क्रम 12, operative part s decree में खाता नं 29 रकबा 7.2968 hec की जगह खाता नं 150 किता 6 रकबा 5.1344 hec Red ink से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। 04/4/25 उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:47:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner